

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

72

रजना गुप्ता वरुणा गुजा राप(वाल)

स संख्या : 27/23

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
------------	---------------------------	----------------------	----------

29/25 पत्रावली प्राप्त। व. फ. उप. वास्ते बहन  
दिनांक 9/25 को पत्रा है।

*Bm*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

9/25 पत्रावली प्राप्त। व. फ. उप. प्राप्त तकी  
दस्तावेजों के अनुसार प्रथम इच्छा नामला  
जर्जीपा के पत्र में उतीत होता है अतः  
दिनांक 15/2023 के जारी अंतर्गत  
अस्थायी निपेधावा कृषि के मूलका  
के विस्तार तक स्थान किया जाता है।  
विस्तृत निर्णय प्रथम से लिखवाया गया।  
पत्रावली के मूल श्रुमाट डोकट दखिल  
दस्ता है।

*Bm*  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर



न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



प्रार्थना पत्र संख्या- 27/2023

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 04.05.2023

श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नी श्री हरिश गुप्ता जाति महाजन उम्र-42 वर्ष निवासी मकान नम्बर-8,  
महाराजा कॉलोनी देहर का वालाजी, सीकर रोड, जयपुर।

.....प्रार्थीया

यनाम

1. श्रीमती पूजा छापरवाल पत्नी श्री चेतन उम्र व्यस्क निवासी प्लाट नम्बर 81, घोडेला भवन,  
रोड नम्बर-2, श्रीराम नगर, विलियन स्कूल वाली गली, मुरलीपुरा सीकर रोड, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 09.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी की सम्पत्ति वाके ग्राम राजावास, पटवार क्षेत्र खोरा बीसल तहसील आमेर, जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 699 रकबा 0.1600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 700 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर खेती की भूमि स्थित है। उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थीया बतौर खातेदार व काश्तकार काबिज है उक्त भूमि प्रार्थीया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12.02.2013 को मैसर्स प्रगति बिजनेस सिंडिकेटस जरिये साझेदार महावीर प्रसाद मंडा, श्रीमती नीलम कंवर एवं श्री जयकुमार से खरीद की थी जो कि उक्त विक्रयपत्र उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के यहां दिनांक 12.02.2013 को पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या 818 में पृष्ठ संख्या 189 कम संख्या 2013052001630 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या 3260 के पृष्ठ संख्या 442 से 453 पर चस्पा किया गया। तब से प्रार्थीया उक्त भूमि की मालिक स्वामी व काबिज काश्तकार है तथा तब से लगातार उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार है। प्रार्थीया द्वारा मौके पर तारबंदी की हुई है। वादिनी के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक हो चुका है। दिनांक 18.04.2023 को जब प्रार्थीया व उसका ससुर उक्त भूमि की देख रेख के लिए प्रार्थीया द्वारा करायी गयी तारबंदी को समूल हटा दिया जब प्रार्थीया ने मालुमात किया तो पता चला कि अप्रार्थी स. प्रार्थीया की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य कर प्रार्थीया की भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा है जब प्रार्थीया ने उसे पूछा तो अप्रार्थी स.1 द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त भूमि को मैंने खरीद की है तथा उक्त भूमि पर मैं निर्माण कार्य करूंगी। प्रार्थीया द्वारा जब अप्रार्थीया को बताया गया कि वह भूमि उसकी है तथा उसने उसे अपने दस्तावेजात भी

3/10/25  
सहायक कलेक्टर  
आमेर म. जयपुर



दिखाये तथा प्रार्थीया द्वारा उसे रोफने की कोशिश करने पर अप्रार्थीया सं 1 व उसके मजदूर प्रार्थीया व उसके ससुर के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये। अप्रार्थी संख्या-1 ने जबरन धन बल के प्रभाव से प्रार्थीया की भूमि में नींव खोद कर निर्माण कार्य युद्धस्तर पर चालू कर रखा है जिसे प्रार्थीया व प्रार्थीया के ससुर ने निर्माण कार्य बंद करने के लिए कहा तो अप्रार्थीया सं 1 ने प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गई तथा कुछ असामाजिक तत्व जो पहले से वहां मौजूद थे के बल पर जबरन निर्माण कार्य पूर्ण कराने व कोई काम बंद करवाने आयेगा तो उसको जान से मारने की धमकी दी मना किये जाने पर प्रार्थीया व प्रार्थीया के ससुर के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा जबरन मारपीट करने पर आतुर हो गये तथा प्रार्थीया व उसके परिवार को ऐलानिया धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 699 व 700 की भूमि पर निर्माण कार्य कर कब्जा करके रहेंगे एवं प्रार्थीया उसका कुछ नहीं बिगाड सकेगी, परन्तु दिनांक 19.04.2023 को सवेर कुछ मोहल्ले के अडौस पडौस के व्यक्ति आ गये जिन्होने अप्रार्थीया सं 1 एवं उसके साथ आये हुये व्यक्तियों को समझाबुझाकर वापस भेज दिया परन्तु अप्रार्थीया सं 1 ने ऐलानिया धमकी दी है कि वह प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 699 व 700 में निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा करके रहेंगे इस कारण प्रार्थीया की ओर से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीया सं 1 संख्या बल मे अधिक है उनका परिवार में सदस्य ज्यादा है इसलिये वे प्रार्थीया को डरा धमका कर व जान से मारने की भय दिखाकर जबरन निर्माण करना चाहती है तथा प्रार्थीया की खसरा नम्बर 699 व 700 की कृषि भूमि पर प्रार्थीया की तारबंदी हटाकर जबरन निर्माण कार्य चालू कर रखा है जिसका कि उनहे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीया अधिकारी है कि अप्रार्थीया सं 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा से पाबन्द करवावे कि अप्रार्थीया सं 1 प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 699 व 700 में जबरन कोई निर्माण कार्य नहीं करे तथा प्रार्थीया के द्वारा लगाये गये पेड पौधो को नुकसान नहीं करे, उनको किसी प्रकार से काटे और ना ही किसी प्रकार से जबरन कब्जा नहीं करे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे आदि के लिये प्रार्थीया अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने की अधिकारिणी है। यदि अप्रार्थी सं 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वह प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि से तारबाउण्डी को हटाकर कच्चा पक्का निर्माण कार्य कर भूमि में लगे हुये पेडपौधो को नुकसान कारित कर देगी तथा प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में बाधा व रुकावट कारित कर देगी जिससे प्रार्थीया को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो पावेगी। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं 1 प्रार्थीया की कृषि भूमि में अन्दर घुसकर खसरा नम्बर 699 व 700 में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे तथा प्रार्थीया के द्वारा लगाये गये पेड पौधो



प्रकरण संख्या - 27/2023  
बउनवानी - रंजना गुप्ता बनाम पूजा छापरवादा वगैरे  
निर्णय दिनांक :- 09.10.2025

को नुकसान नहीं करे, तारबंदी का नहीं उखाड़े किसी प्रकार से जवरन कब्जा नहीं करे प्रार्थीया के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे ऐसा ना तो अप्रार्थी सं 1 स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट कर्मकार आदि से करवायें मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें वाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उक्त उनवानी जवाब प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1 में वर्णित प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में अवश्य प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र सर्वथा मिथ्या, निराधार, अनुचित, गैर कानूनी तथ्यों पर आधारित होने से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें योग्य है जिसमें प्रार्थी को कत्तई सफलता नहीं मिल सकती। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में सफलता की आशा रखना निरर्थक एवं व्यर्थ है और केवल मात्र मृत तृष्णा हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, मिन उत्तरदाता से संबंधित नही होने के कारण प्रार्थी स्वयं साबित करें। बल्कि यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मिन उत्तरदाता द्वारा ईडन गार्डन आवासीय योजना के आवंटी एवं भूखण्डधारी श्री आलोक कुमार जैन द्वारा अपने हक में जयपुर मिता विकास प्राधिकरण से जी-ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 148 का पट्टा प्राप्त किया। तत्पश्चात उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त भूखण्ड जी-148 मिन उत्तरदाता को विक्रय हस्तान्तरित किया। जिस पर मिन उत्तरदाता ने चारो तरफ पुख्ता बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रिहायशी मकान का निर्माण कर अपने रिहायशी मकान का उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। जबकि स्वयं प्रार्थीया द्वारा यह अंकित किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 12/2/2013 को मैसर्स प्रगति बिजनेस सिण्डिकेट से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12/2/2013 को वादअधीन भूमि क्रय की हैं। जबकि मिन उत्तरदाता से संबंधित भूखण्ड का आवंटन उसके भूमि क्रय करने से पूर्व ही हो चुका था व जयपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भूखण्ड से संबंधित ईडन गार्डन आवासीय योजना की 90बी की कार्यवाही जरिये मिसल संख्या 181 दिनांक 18/5/2007 में कर दी थी। ऐसी स्थिति में उक्त समस्त कार्यवाही मिन उत्तरदाता को हैरान परेशान करने की गरज से प्रस्तुत की गई है जबकि मिन उत्तरदाता के भूखण्ड से प्रार्थीया का कोई संबध व सरोकार नही हैं। मिन उत्तरदाता द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शे के आधार पर अपने भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर पुख्ता निर्माण मकान आदि बनाकर उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। ऐसी स्थिति मिन उत्तरदाता के विरुद्ध प्रार्थीया का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 जिस जयपुर कार से वर्णित किया गया हैं, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थीया द्वारा बनावटी घटना पूर्णतः कपोल कल्पित उत्तरदाता द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक

3m  
सहायक कलक्टर  
जयपुर



प्रकरण संख्या - 21/2023  
मदनवादी - रंजना गुप्ता बनाम पुंजा आसत्य व नैव  
निर्णय दिनांक - 09.10.2023

25/1/2023 को क्रय किया था तभी से मिन उत्तरदाता ने अपने भूखण्ड संख्या जी-148 ब्लॉक जी, योजना ईडन गार्डन राजावास पर कब्जा प्राप्त कर मौके पर निर्माण कार्य चालू कर दिया एवं वर्तमान में मिन उत्तरदाता द्वारा सम्पूर्ण तामीरात का निर्माण किया जा चुका है। मिन उत्तरदाता द्वारा प्रार्थीया की तथाकथित भूमि से किसी प्रकार कोई तारबन्दी कोई नहीं हटाया गया है। मिन उत्तरदाता उसी स्थान पर मौके पर कब्जा प्राप्त किया जिस पर मिन उत्तरदाता के पूर्व हक अधिकारी विक्रेता सुरेश कुमार को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शे के आधार पर काबिज कराया था। प्रार्थीया द्वारा इस मद में समस्त कथन असत्य बनावटी व मनगढ़ंत अंकित किये गये हैं। चूँकि वादीया स्वयं के द्वारा 2013 में उक्त भूमि क्रय की है और वो उसी भूमि पर काबिज है अब केवल मात्र विक्रय पत्र के समय जिस पर भूमि पर काबिज काशत थी उससे अधिक भूमि पर कब्जा करने व मिन उत्तरदाता को हैरान परेशान करने के लिये उक्त वाद कपोल कल्पित असत्य बनावटी कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा उक्त मद में वर्णित दिनांकित घटना 18/4/2023 भी कपोल कल्पित मनगढ़ंत हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। मिन उत्तरदाता पूर्णतः सज्जन व शालिन् कानून की पालना करने वाली महिला है मिन उत्तरदाता केवल मात्र जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पट्टा विलेख एवं अनुमोदित नक्शे के आधार पर उसके पूर्व हक अधिकारी विक्रेता आलोक कुमार द्वारा विक्रित भूखण्ड संख्या जी-148 पर विधि द्वारा दिये गये अधिकारों के तहत निर्माण कार्य किया गया है। मिन उत्तरदाता का प्रार्थीया व उसके ससुर से कोई लडाई झगडा नही हुआ ना ही किसी प्रकार की कोई कहा सुनी हुई प्रार्थीया द्वारा जो समस्त कथन अंकित किये गये है वह पूर्णतः कपोल कल्पित व मनगढ़ंत हैं जैसा कि उपरोक्त मद में स्पष्ट किया जा चुका है कि ईडन गार्डन आवासीय योजना की 90बी की कार्यवाही दिनांक 18.5.2007 में ही पूर्ण हो चुकी थी तभी से उसके आवंटित सदस्यों एवं भूखण्डधारियों का मौके पर कब्जा था जिसके आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डधारियों को पट्टा जारी कर लीजडीड जारी की गई थी जिसके आधार पर उत्तरदाता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूखण्ड क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। उत्तरदाता ने कभी भी प्रार्थीया व उसके रिश्तेदारों को कोई एलानियां नही दी। मिन उत्तरदाता को प्रार्थीया की भूमि से कोई संबंध व सरोकार नही है ना ही मिन उत्तरदाता ने कभी प्रार्थीया को उसकी भूमि पर कब्जा करने की कोई एलानियां धमकी दी। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीया भी उसी भूमि पर उसी हिस्से पर काबिज काशत है जो उसके द्वारा 2013 में भूमि क्रय करते समय प्राप्त किया। जबकि प्रार्थीया के भूमि क्रय करने से पूर्व ही ईडन गार्डन आवासीय योजना का नक्शा अनुमोदित किया जा चुका था। जिसके तहत मिन उत्तरदाता अपने भूखण्ड पर काबिज है जिसका सभी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का अधिकार मिन उत्तरदाता को प्राप्त है। वैसे भी विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना के भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे में प्रार्थीया का वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र

B.M.  
सहायक कलेक्टर  
जयपुर


की मद नंबर 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। मिन उत्तरदाता द्वारा कभी भी प्रार्थीया को कोई एलानियां धमकी नहीं दी। मिन उत्तरदाता अपने हक व अधिकार व विधि द्वारा जारी किये गये भूखण्ड पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। मिन उत्तरदाता के भूखण्ड के संबंध में माननीय न्यायालय को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। क्योंकि मिन उत्तरदाता का भूखण्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी 90बी की कार्यवाही के तहत अनुमोदित नक्शे के आधार पर प्राप्त भूखण्ड पर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। मिन उत्तरदाता के भूखण्ड से प्रार्थीया का किसी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मिन उत्तरदाता से प्रार्थीया बिना किसी कारण से द्वेष भाव रखती है जबकि स्वयं प्रार्थीया के कथनो स्पष्ट है कि मिन उत्तरदाता का भूखण्ड संख्या जी-148 है जिसके उत्तर की ओर प्लाट संख्या जी-151, दक्षिण की ओर प्लाट नम्बर जी-149 है व पश्चिम की ओर रोड 30 फीट स्थित है यदि प्रार्थीया को उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति थी तो माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त भूखण्डधारियों को पक्षकार बनाकर कार्यवाही करती। जैसा कि उपरोक्त मद में स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रार्थीया स्वयं के द्वारा मद संख्या 1 में वर्णित भूमि 2013 में क्रय की गई। जबकि उससे पूर्व ही ईडन गार्डन योजना की 90बी की कार्यवाही व नक्शा अनुमोदित की जाकर मौके पर सडक आदि का निर्माण किया जा चुका था एवं भूखण्डों के चिन्ह स्थापित कर भूखण्डधारियों को कब्जा प्रदान कर दिया गया था जिसके आधार पर मिन उत्तरदाता द्वारा आवंटी से भूखण्ड क्रय कर मौके पर पुख्ता निर्माण करा लिया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि मिन उत्तरदाता के भूखण्ड से प्रार्थीया का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। चूँकि मिन उत्तरदाता जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड की एकमात्र मालिक हक अधिकारी है जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान करने का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का वाद खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 7 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, असत्य बनावटी होने से अस्वीकार है। जैसा कि वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जवाब के उपरोक्त मदों में स्पष्ट किया जा चुका है कि मिन उत्तरदाता जयपुर विकास प्राधिकरण से विधि अनुसार 90बी की कार्यवाही एवं अनुमोदित नक्शे के आधार पर ईडन गार्डन आवासीय योजना के भूखण्डधारियों को आवासीय भूखण्ड हेतु जो पट्टा जारी किये गये थे उस पर मिन उत्तरदाता जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर विधि अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। चूँकि प्रार्थीया द्वारा स्वयं 90बी की कार्यवाही के पश्चात भूमि क्रय की गई थी ऐसी स्थिति में ईडन गार्डन योजना के भूखण्डों पर उसकी तारबन्दी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब मौके पर मिन उत्तरदाता के भूखण्ड पर किसी प्रकार की कोई तारबन्दी ही नहीं थी उसको उखाडने व जबरन कब्जा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मिन उत्तरदाता जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय कर उस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही हैं।

13/11/25  
सहायक कलक्टर  
जानेर मू, जयपुर



यदि माननीय न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विधि अनुसार किस्म परिवर्तन कर आवासीय योजना के भूखण्ड के संबंध में भी यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से मिन उत्तरदाता को प्रतिबंधित करती है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को न होकर मिन उत्तरदाता को होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है असत्य बनावटी व मनगढंत होने से अस्वीकार है। जैसा कि है। जैसा कि उपरोक्त मदों में स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रथम दृष्ट्या वाद सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति यह अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध न होकर पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कथनों के आधार पर पूर्णतः सिद्ध व सार्थक है कि मिन उत्तरदाता द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विधि अनुसार किस्म परिवर्तन कर अनुमोदित आवासीय योजना के नक्शे के आधार पर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूखण्ड क्रय कर उस पर निर्माण कर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में न होकर मिन उत्तरदाता के पक्ष में बखूबी साबित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उत्तरवाणी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु को देखा जाना है। उभयपक्ष के मध्य सीमा का विवाद है तथा वादीया रिकॉर्डेड खातेदारा काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण यदि उक्त आराजी में जबरन निर्माण एवं खुर्द बुर्द करते हैं तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतु मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनों बिंदुओं में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभयपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्ट्या तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 04.05.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु0 जयपुर